UPMB010009482026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी(सी०ए०डब्लू०) महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP–2700
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-417/2026

राजा विजय विक्रम सिंह उम्र 44 वर्ष पुत्र दृगपाल सिंह निवासी ग्राम पाठा थाना खरेला जिला महोबा (उ०प्र०)। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....प्रतिपक्षी।

मु०अ०सं०-103/2026
धारा-64, 352, 351(3), 126(2), 308(2) बी०एन०एस० व 66E, 67a सूचना प्रोद्योगिक (संसोधन) अधिनियम
थाना-चरखारी, जिला महोबा।

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त राजा विजय विक्रम सिंह, जो मु0अ0सं0–103/2026, अन्तर्गत धारा 64, 352, 351(3), 126(2), 308(2) बी०एन०एस० व 66E, 67a सूचना प्रोद्योगिक (संसोधन) अधिनियम, थाना चरखारी, जिला महोबा के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

2. प्रथम सूचनाकर्ती पीड़िता पत्नी जीतेन्द्र निवासी सी–5 सुभद् कालोनी शास्त्री गनर मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली हाल पता मु० छोटा रमना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा ने थाना प्रभारी कोतवाली चरखारी महोबा में इस आशय की तहरीर दी कि उसकी ससुराल रिठवां थाना चांदपुर जिला फतेहपुर में है। उसकी रिश्तेदारी में आने जाने वाले व्यक्ति राजा विजय विक्रम सिंह पुत्र दृगपाल सिंह निवासी ग्राम पाठा थाना खरेला जिला महोबा से वर्ष 2006 में उसकी जान परिचय हो गयी थी। वह उससे शादी करने की कहकर बातचीत मेल मिलाप करता था। परन्तु जब उसे पता चला कि उसके कई लडकियो से सम्बन्ध है तो उसने उससे सम्पर्क बात करना बन्द कर दिया था। वर्ष 2011 में उसकी

शादी जितेन्द पत्र श्री जागेश्वर सिंह निवासी रिठवां चांदपुर जिला फतेहपुर से हो गयी थी। उसके के दो बच्चे एक लडकी 11 वर्ष व एक लडका 09 वर्ष के है। दिसम्बर वर्ष 2025 में राजा विजय विक्रम ने उसका नम्बर किसी माध्यम से प्राप्त कर लिया और उसे फोन कर बोला कि उसकी तबियत बहुत खराब चल रही है। उसने उसे अपनी हालत के बारे में बताने के लिये फोन किया और वह उससे तरह–तरह के कारण बताकर बातें करना लगा और हमर्दीवश उसने भी उसे समझाने के लिये बाते करने लगी। किन्तु वह उसकी सभी बातों की रिकार्डिंग करने लगा। जिसकी उसे कोई जानकारी नही थी। मार्च 2026 मे जब अपने मायके चरखारी आयी थी तब यह उससे मिलने की जिद करने लगा और कहने लगा कि उसे उससे मिलना है नहीं तो वह मर जायेगा तो वह इसके बुलाने पर दिनांक 29.03.2026 को बस स्टैण्ड चरखारी गयी तो यह उसे अपने साथ बहला फुसलाकर मैहर माता मन्दिर सतना मे ले गया और उसे अपने पति के खिलाफ भडकाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये इसके बाद इसने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ कई बार सम्बन्ध बनाता रहा और वीडियो बना लिया। फिर वह कुछ दिनों बाद दिल्ली वापस अपने पति के पास चली गयी थी। दिल्ली में पहुंचने पर भी यह उसे फोन कर परेशान करने लगा और कहने लगा कि उससे बातें व मेल मिलाप रखो नही तो वह उसे, उसके पति व बच्चो को जान से मार डालेगा और उसकी फोटो वायरल कर देगा। वह काफी भयभीत हो गयी और मजबूरन इसके कहने पर इससे WhatsApp पर वीडियो काल कर बाते करने लगी थी। इसने उससे मो0 नं0 9839649881 से वीडियोकाल कर अश्लील बाते व हरकते कर उसकी वीडियोकाल रिकार्ड कर ली और फिर उसे लगातार तरह–तरह की धमकियां देकर ब्लैकमेल कर उससे रुपये लेते रहा। इसने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाकर कई वीडियो बनाये। यह दिल्ली में उसके घर के बाहर भी आया और उसे धमकी देकर गया कि अगर वह उससे बातें नहीं करोगी तो वह उसकी वीडियो रिकार्डिंग, फोटो सब वायरल कर उसे बदनाम कर देगा। उसने इसका मो0 9839649881 नम्बर ब्लाक कर दिया और इससे बातें करना बन्द कर दिया तो इसने मेरी फोटो व अश्लील Whatsapp मो0 नं0 9582866512 पर भी भेजे जो उसके पति ने उसे दिखाये। इसने उसकी अश्लील फोटो की रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम में लगाकर उसे बदनाम कर दिया है। आज दिनाक 19.05.2026 की सुबह वह दिल्ली से अपने मायके चरखारी लौटी और इसकी शिकायत करने थाने जा रही थी तभी समय करीब लगभग 07.00 बजे यह उसे रास्ते मे मिल गया और इसने उसे रास्ते मे रोककर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके भाई अजय विक्रम ने भी इसे धमकी देते हुए देखा है और जब उसके भाई ने इसे ललकारा तो यह धमकी देकर भाग गया है। श्रीमान जी वह इसके कृत्यों से काफी मानसिक रूप से परेशान हो गयी है। आपसे निवेदन है कि राजा

विजय विक्रम सिंह पुत्र दगपाल सिंह निवासी ग्राम पाठा थाना खरेला जिला महोबा के विरुद्ध उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक 29.03.2026 से 19.05.2026 के मध्य की कहीं गयी है लेकिन दिनांक 20.05.2026 के पहले घटना की कोई एफ०आई०आर० नही है। वादिनी द्वारा एफ०आई०आर० में कथन किया गया कि उससे वादिनी का वर्ष 2006 में परिचय हुआ और मेल मिलाप हुआ। वादिनी की वर्ष 2011 में शादी जितेन्द्र पुत्र जागेश्वर सिंह निवासी रिठवां चांदपुर जिला–फतेहपुर से हो गयी थी। वर्ष 2006 से दिनांक 18.05.2026 तक 20 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद कोई एफ०आई०आर०नही की गयी। वादिनी के दो बच्चे लडकी उम्र 11 वर्ष व पुत्र उम्र 09 वर्ष का है। दिसम्बर 2025 में उसके द्वारा वादिनी का फोन नम्बर प्राप्त करके तबियत खराब होने का बहाना बनाकर बातचीत करने का कथन किया और मार्च 2026 में वादिनी जब चरखारी मायके आयी तो दिनांक 29.03.2026 को बस स्टैण्ड चरखारी उसके बुलाने पर वादिनी गयी और वादिनी को बहलाकर–फुसलाकर मेहर माता मंदिर सतना ले गया और शारीरिक सम्बन्ध बनायें। यह कथन वादिनी का पूर्णतया झूठा है। उसने ने कतई वादिनी को नही बुलाया और न ही शारीरिक सम्बन्ध जबरन बनायें। एफ०आई०आर० में कथन किया गया कि वादिनी ने कहा कि उससे मेल मिलाप रखो नही तो वह उसे व उसके बच्चो को जान से मार देगा और उसकी फोटो वायरल कर देगा, वीडियो कॉल रिकार्ड कर ली और ब्लेकमेल किया तथा कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाकर वीडियो बनाये, यह कथन झूठा है। एफ०आई०आर० में झूठे कथन लिखकर मनगढन्त तरीके से लिखाई गयी है। वर्ष 2006 से दिनांक 29.03.2026 तक कोई एफ०आई०आर० वादिनी द्वारा कहीं किसी थाने में नहीं की गयी। उसको ब्लेकमेल करने के लिये और उससे रूपया ऐंठने के लिये और उसकी प्रतिष्ठा खराब करने के लिये झूठे तथ्यों पर एफ०आई०आर० लिखायी गयी है। वादिनी इस तरह से अन्य कई लोगो से भी प्रार्थना पत्र देकर लेन–देन कर चुकी है और उससे भी दबाव के साथ लेन–देन करना चाहती थी और न देने पर झूठे तथ्यों की एफ०आई०आर० लिखा दी है। उसने कतई वादिनी से बल प्रयोग करके कभी भी शारीरिक सम्बन्ध बनाया है और न ही वीडियो रिर्कोडिंग की है और न ही ब्लेकमेल करने की धमकी दी है और न ही वादिनी व वादिनी के बच्चो को जान से मारने की धमकी दी है और न ही वादिनी को बहलाकर–फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 21.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अभियोजन तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। महिला के साथ

बलात्कार करने का अभियुक्त पर आरोप है। जमानत दिये जाने पर साक्ष्य को प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6. उभयपक्ष को सुना। अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 20.05.2026 को दर्ज करायी गयी है जिसमें अभियुक्त तथा पीड़िता के मध्य वर्ष 2006 से बातचीत व मेल मिलाप होना कहा गया है। पीड़िता ने वर्ष 2011 में अपनी शादी के उपरान्त अभियुक्त से कोई सम्पर्क न होने का अभिकथन किया है। पीड़िता दो बच्चों की मां है और पुनः वर्ष 2026 में अभियुक्त द्वारा सम्पर्क किये जाने पर पुनः उससे बातचीत करने लगी। दिनांक 29.03.2026 को अभियुक्त के साथ सतना जाने और शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता की फोटो वायरल किये जाने के पश्चात पीड़िता ने उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी है। पीड़िता स्वयं 36 वर्षीय वयस्क शादीशुदा महिला है। पुलिस को अंकित कराये गये अपने 181 बी०एन०एस०एस० के बयानों एवं न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये 183 बी०एन०एस०एस० के बयानों में घटना के सम्बन्ध में अलग –अलग बयान अंकित कराये गये हैं। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। ऐसी दशा में मामले की प्रकृति व तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले के गुण –दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये जमानत का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक /अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राजा विजय विक्रम सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता हैः–

1. अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष एक लाख रुपये का स्व –बन्धपत्र तथा समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करेगा।

2. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त विवेचना में सहयोग करेगा। विचारण के दौरान नियत तिथियों पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3. अभियुक्त ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, जिसके करने का उस पर अभियोग या संदेह है।

4. अभियुक्त प्रकरण के तथ्य से अवगत किसी व्यक्ति को या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा, या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा

5. अभियुक्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष अपने अस्थायी एवं स्थायी पता एवं अपना मोबाइल नम्बर यदि हो, प्रमाण सहित प्रस्तुत करेगा। विचारण के दौरान पते में परिवर्तन होने पर अभियुक्त इसकी जानकारी न्यायालय को देगा।

6. जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का तथा न्यायालय को धारा 269 बी०एन०एस० के प्राविधान के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

तदनुसार अभियुक्त की ओर से जमानत, बन्धपत्र एवं अण्डरटेकिंग सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 03.06.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP-2700

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.06.10 09:32:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court